न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या
425/2022

रजू दिनांक
18.10.2022

निर्णय दिनांक
24.05.2023

उनवान

1. लखपति बेवा सरजीवन जाति अहीर निवासी माजरा तह.नीमराना जिला अलवर। वादनी।

बनाम

1. अशोक पुत्र जगदीश पौत्र श्योदयाल जाति अहीर
2. कर्णसिंह पुत्र जगदीश
3. कृष्णा पुत्री जगदीश
4. त्रिपती पत्नी जगदीश
5. पर्वन्ता पुत्री जगदीश
6. संतोष पुत्री जगदीश जाति अहीर निवासीयान ग्राम कान्हावास तह0 नीमराना जायज वारिसान मृतक जगदीश पुत्र श्योदयाल काबिज जायदाद।
7. प्रहलाद पुत्र श्योदयाल जाति अहीर निवासी कान्हावास तह0नीमराना।
8. उपपंजीयक मॉढ़ण।
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।

:– प्रतिवादीगण।

दावा अतंगर्त धारा 88,89 व 188 आर0टी0एक्ट0।

उपस्थितीः– 1 श्री मुकेशकुमार यादव एड0 वादी की ओर से।
2 प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादनी ने वाद पेशकर निवेदन किया कि हाल आराजी ख.नं. 1590/0.16 वाके ग्राम कान्हावास तह0 नीमराना वादनी ने प्रतिवादी सं. 01 लगा. 06 के पिता /पति जगदीश पुत्र श्योदयाल से दिगर आराजीयात के साथ दिनांक 08.09.2004जरिये रजि0बैयनामा खरीद की थी और बयनामा के आधार पर इंतकाल सं. 620 वादनी के नाम दर्ज होकर स्वीकृत को गया। वादनी वक्त खरीद से अपनी खरीदशुदा आराजी परकाबिज काश्त है। अब वादनी ने दिनांक 07.10.2022 को किसान क्रेडित कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का से पत्रावली तैयार कराई तो जानकारी हुई की ख.नं. 1590 मे वादनी का नाम दर्ज नही है। तो वादनी ने राजस्व रिकॉर्ड देखा तथा जानकारी की तब ज्ञात हुआ की बैयनामा के इंतकाल मे ख.नं. 1590 दर्ज करने से छुट गया और विक्रेता जगदीश के फौत होने पर उसकी विरासत का इंतकाल उसके वारिसान के नाम गलत रूप से दर्ज्र हो गया तथा प्रहलाद पुत्र श्योदयाल नाम का जगदीश के कोई भाई नही था उसका नाम भी गलत रूप से दर्ज हुआ है। वादनी ने उक्त गलत इंद्राज का सही करने के लिए प्रतिवादीगण से कहा तो प्रति0 ने दिनांक 20.09.2022 को रिकॉर्ड दुरूस्त कराने से साफ इंकार हो गए और वादनी को धमकी दी है कि रिकॉर्ड मे अमल के आधार पर आराजी विवादित को दिगर जगह बेचान करेगे तथा वादनी को जबरन बेदखल करने की खुली धमकी दी है। इसकिए वादनी को यह दाद पेश करना आवश्यक हुआ है।
2. अन्त मे वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार

(क) डिक्री इस्तकरार हक व दुरूस्ती इंद्राज बहक वादनी विरूद्व प्रति.सं. 01लगा. 07 अता फरमाई जावे कि आराजी ख.नं.हाल 1590/0.16 वाके ग्राम कान्हावास तह0 नीमराना जो प्रति.सं. 01 लगा. 06 के पिता /पति जगदीश पुत्र श्योदयाल से वादनी ने दिनांक 08.09.2004 को जरिये रजि0 बैयनामा अन्य आराजीयात के साथ खरीद की है। बैयनामा के आधार पर इंतकाल सं. 620 वादनी के नाम दर्ज हो कर स्वीकृत को गया लेकिन सहवन से ख.नं. 1590 इंतकाल मे दर्ज होने से रह गया तथा जगदीश का स्वर्गवास होने के पश्चात उसके वारीसान प्रति.सं. 01 लगा. 06 के नाम खातेदारी दर्ज कर दि गई तथा चौसाला जमाबंदी तैयार करते समय जगदीश का भाई प्रहलाद पुत्र श्योदयाल अंकित कर दिया गया जबकि विरासत इंतकाल सं. 73 एकेले जगदीश पुत्र श्योदयाल के नाम दर्ज हुआ तथा राजस्व रिकॉर्ड मे अकेले जगदीश के नाम खातेदारी दर्ज थी। प्रहलाद का नाम गलत रूप से अंकित किया गया है। गांव मे प्रहलाद नाम का कोई व्यक्ति नही है। जिस सूरत मे प्रतिवादी सं. 01 लगा. 07 का नाम 03/20 भाग से कलमजन किया जाकर मुताबिक बैयनामा दिनांक 08.09.2004 वादनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल किया जावे।

(ख) डिक्री हु0ई0दवामी से प्रतिवादीगण को पावन्द फरमाया जावे कि आराजी मुतनाजा के हाल रिकॉर्ड मे गलत इंद्राज के आधार पर वादनी को जबरन बेदलख नही करे ना ही रह बय करे,मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादनी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष बैय नजदीक अदालत श्रीमान हो सादीर फरमाया जावे।

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । वाद तामिल प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुये लिहाजा उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादनी नियत की गई। वादनी ने अपने वाद की पुष्टि हेतु साक्ष्य मे स्वय का शपथ पत्र पी.डब्लू. 01 व राजेश पुत्र नित्यानंद का शपथ पत्र पी.डब्लू. 02 पेश किये है, तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल नोटिस धारा 80 सीपीसी प्रदर्श 01,रसीद पोस्ट आफीस प्रदर्श 02,नकल जमाबन्दी संवत 2072–76 प्रर्दश 03, नकल जमाबंदी संवत 2050 प्रदर्श 04, नकल जमाबंदी संवत 2062 प्रदर्श 05,06, नकल इंतकाल सं. 620 प्रदर्श 07,फोटो प्रति बैयनामा,नकल जमाबंदी संवत 2068 प्रदर्श 08 ,नकल इंतकाल 73 प्रदर्श 09 पेश किए है।

4. वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2050 प्रदर्श 04 के अनुसार जगदीश प्रसाद पुत्र श्योदयाल कौम अहीर 1/5 सा0देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। तथा फोटोप्रति बैयनामा दिनांक 08.09.2004 के अवलोकन से साबित है कि खातेदार जगदीश ने विवादित आराजी ख.नं. 1590/0.16 वाके ग्राम कान्हावास वादनी को दिगर आराजीयात के साथ बेचान किया था वादनी के पक्ष मे इंतकाल सं. 620 बैयनामा के आधार पर दर्ज व मंजूर किया गया। परन्तु इस इंतकाल मे ख.नं. 1590/0.16 दर्ज करने से रह गया जबकि उक्त इंतकाल मे बैयनामा के अनुसार इस नं. को भी दर्ज करना चाहिए था। जब बैयनामा के अनुसार उक्त नं. इंतकाल मे दर्ज करने से छुट गया तो विक्रेता जगदीश के नाम का ही अमल बरकरार रहा। नकल इंतकाल सं. 73 से साबित है कि श्योदयाल पुत्र कान्हा की विरासत अकेले जगदीश पुत्र श्योदयाल के नाम दर्ज व मंजूर हुइ है जिससे साबित है कि श्योदयाल का मात्र एक वारीस जगदीश ही था। नकल जमाबंदी संवत 2072–76 प्रदर्श 03 के अनुसार आराजी विवादित बाद बेचान मृतक जगदीश के वारिसान प्रति.सं. 01 लगा. 06 व प्रतिवादी सं. 07 सुभाष पुत्र श्योदयाल की खातेदारी मे दर्ज है जबकि श्योदयाल पुत्र कान्हा का वारिस अकेला जगदीश ही था। परन्तु हाल जमाबंदी मे प्रहलाद को श्योदयाल का पुत्र अंकित किया हुआ है जो साबिक रिकॉर्ड के अनुसार गलत है। चुकि विवादित आराजी ख.नं. 1590/0.16 मे अपने हिस्से को जगदीश पुत्र हरनारायण विक्रय कर चुका था तो अथवा उसे वारिस अन्य किसी के कोई हक हकूक कानूनन शेष नही रहे। इस प्रकार वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वाद वादनी साबित होता है। वाद डिक्री किया जाना कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

अधिकारी
(अलवर)

5. अतः आदेश है कि:—

वाद वादनी बहक वादनी विरुद्ध प्रतिवादीगण एकपक्षीय डिक्री किया जाकर आराजी ख.नं. 1590/0.16 वाके ग्राम कान्हावास तह0नीमराना के 3/20 भाग का खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा हाल जमाबंदी मे जो अमल प्रतिवादी सं0 01 लगा. 07 के नाम से खातेदारी का हो रहा है, उसे कलमजन किया जाकर वादनी को खातेदार काश्तकार दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादनी स्वयं वहन करेगी। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24-5-23 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

24/5/2023

मुकट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
425/2022	18.10.2022	24.05.2023

उनवान

1. लखपति बेवा सरजीवन जाति अहीर निवासी माजरा तह.नीमराना जिला अलवर।

वादनी।

बनाम

1. अशोक पुत्र जगदीश पौत्र श्योदयाल जाति अहीर
2. कर्णसिंह पुत्र जगदीश
3. कृष्णा पुत्री जगदीश
4. त्रिपती पत्नी जगदीश
5. पर्वन्ता पुत्री जगदीश
6. संतोष पुत्री जगदीश जाति अहीर निवासीयान ग्राम कान्हावास तह0 नीमराना जायज वारिसान मृतक जगदीश पुत्र श्योदयाल काबिज जायदाद।
7. प्रहलाद पुत्र श्योदयाल जाति अहीर निवासी कान्हावास तह0नीमराना।
8. उपपंजीयक मॉढ़ण।
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।

:– प्रतिवादीगण।

दावा अतंगर्त धारा 88,89 व 188 आर0टी0एक्ट0।

उपस्थितीः– 1 श्री मुकेशकुमार यादव एड0 वादी की ओर से।
2 प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

–::पर्चा डिक्री::–

24-5-23

वाद वादनी बहक वादनी विरूद्व प्रतिवादीगण एकपक्षीय डिक्री किया जाकर आराजी ख.नं. 1590/0.16 वाके ग्राम कान्हावास तह0नीमराना के 3/20 भाग का खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा हाल जमाबंदी मे जो अमल प्रतिवादी सं0 01 लगा. 07 के नाम से खातेदारी का हो रहा है, उसे कलमजन किया जाकर वादनी को खातेदार काश्तकार दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादनी स्वयं वहन करेगी।

24/5/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)